



14-5-22 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प कोर्ट
मुं केशनगढ में पेश दुधी इजराय की पालना
संबंधी रिपोर्ट तहसीलदार, कपनगढ से प्राप्त
हो चुकी है, इस कारण एकरण में कोई कार्यवाही
अपेक्षित नहीं होने से इजरायदार का प्रार्थना-
पत्र खारिज किया जाता है
पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर के
कम हो


सदस्य -
लोक अदालत
केशनगढ (अजमेर)


न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत

